बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – 9/उपा0/बीज (विविध)–27/2015 5289 /कृ0, पटना दिनांक 29-10-2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रमीण क्षेत्रों में करने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान देने की योजना स्वीकृति एवं चालू वितीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम से 7088.51 लाख (सतर करोड़ अठासी लाख एकावन हजार) रूपये की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रमीण क्षेत्रों में करने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान देने की योजना स्वीकृति एवं चालू वितीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम से 7088.51 लाख (सतर करोड़ अठासी लाख एकावन हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत योजना कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है–

(भौतिक–क्वीं0 में, वित्तीय–लाख रू0 में)

घटक	अनुदान सहायता	मौसम	फसल	भौतिक	अधिकतम बीज मूल्य दर रू0/क्वीं	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	मूल्य का 90%	खरीफ	धान	5085.36	3400	155.61
			अरहर	1151.84	10000	103.67
		रबी	गेहूं	17856	3400	546.39
			चना	3761.76	10000	338.56
			मसूर	2485.12	10000	223.66
			योग			**1367.89**
एकीकृत बीज ग्राम योजना	मूल्य का 50%	खरीफ	धान	90	3400	1.53
	मूल्य का 60%		अरहर	24	10000	1.44
	मूल्य का 50%		मडुआ	5	5000	0.13
			जूट	5	10000	0.25
		रबी	गेहूं	1000	3400	17.00
	मूल्य का 60%		चना	432	10000	25.92
			मसूर	240	10000	14.40
			योग			**60.67**
मिनीकिट योजना	मूल्य का 80%	खरीफ	धान (स्वर्णा सब–1, सहभागी, सम्पदा)	18000	3400	**489.60**

बीज वितरण कार्यक्रम	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 20/kg जो न्यूनतम हो	रबी	गेहूं (10 वर्षो से कम अवधि के प्रभेद)	185164	-	3703.
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 15/kg जो न्यूनतम हो	रबी	गेहूं (10 वर्षो से अधिक अवधि के प्रभेद)	46291	-	694.37
			योग			**4397.65**
आधार बीज पर अनुदान योजना	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 20/kg जो न्यूनतम हो	खरीफ	धान	4489	-	89.78
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 70/kg जो न्यूनतम हो		अरहर	108	-	7.56
			उड़द	41	-	2.87
			मूंग	38	-	2.66
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 80/kg जो न्यूनतम हो		तिल	1	-	0.08
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 40/kg जो न्यूनतम हो		सोयाबीन	202	-	8.08
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 20/kg जो न्यूनतम हो	रबी	गेहूं	25575	-	511.50
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 70/kg जो न्यूनतम हो		मसूर	910	-	63.70
			मटर	13	-	0.91
			चना	1200	-	84.00
	मूल्य का 50% या अधिकतम Rs. 40/kg जो न्यूनतम हो		राई/सरसों	34	-	1.36
			तिसी	5	-	0.20
			योग			**772.70**
			कुल योग			**7088.51**

2. **योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण–** जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना–** राज्य में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। योजना का कार्यान्वयन धान एवं गेहूं फसल में राज्य के सभी राजस्व गांवों में किया जाना है तथा अन्य फसलों के चयनित राजस्व गांव में किया जाना है। वितीय वर्ष 2018–19 में धान, अरहर, गेहूँ, चना एवं मसूर के आधार बीज/प्रमाणित बीज स्टेज–1 किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित फसलों (धान, अरहर, गेहूं, चना, मसूर) के बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक राजस्व गांव से 02 (दो) किसानों का चयन किया जाना है। जिलावार लक्ष्य

अनुसूची–1 एवं 2 में संलग्न किया गया है। धान एवं गेहूँ के बीज आधा एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 6 कि0ग्रा0 एवं 20 कि0ग्रा0 तथा अरहर, चना, मसूर के बीज एक चौथाई एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 2 कि0ग्रा0, 8 कि0ग्रा0 एवं 4 कि0ग्रा0 उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत सभी फसलों के बीज पर अनुदान कॉलम 6 में अंकित बीज मूल्य दर का अधिकतम 90 प्रतिशत या फसल के बीज का मूल्य अधिकतम अंकित मूल्य से कम होने पर वास्तविक मूल्य का 90 प्रतिशत अनुमान्य है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में सभी फसलों के बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा जिलों में सुनिश्चित की जायेगी। किसानों को अनुदान राशि घटाकर शेष राशि प्राप्त कर बीज बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अपने डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

4. एकीकृत बीज ग्राम योजना– योजनान्तर्गत चयनित किसानों को कॉलम 6 में अंकित बीज मूल्य दर का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर धान, मडुआ, जूट एवं गेहूँ, फसल के प्रजनक/आधार बीज एवं अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान पर अरहर, चना एवं मसूर फसल के प्रजनक/आधार बीज पर अनुदान अनुमान्य है। कॉलम 6 में अधिकतम मूल्य दर से फसल के बीज का मूल्य दर कम होने पर वास्तविक राशि के 50 या 60 प्रतिशत जो लागू हो के अनुसार अनुदान अनुमान्य होगा। एकीकृत बीज ग्राम के किसानों को अनिवार्य प्रमाणीकरण से जोड़ा जायेगा। जो बीज उत्पादित होंगे उन्हें बिहार राज्य बीज निगम द्वारा क्रय किया जायेगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–3 एवं 4 में संलग्न किया गया है। एकीकृत बीज ग्राम योजना में बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। किसानों को अनुदान राशि घटाकर शेष राशि प्राप्त कर बीज बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अपने डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

5. मिनीकिट योजना– योजनान्तर्गत खरीफ मौसम में बाढ़ एवं सुखारोधी धान प्रभेद के बीज का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में किया जायेगा। बाढ़ संभावित जिलो में स्वर्णा सब–1 धान प्रभेद एवं सुखा संभावित जिलो में सहभागी एवं सम्पदा प्रभेद के धान बीज किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–5 में निर्धारित की गयी है। किसान का चयन प्रखंड स्तर पर किया जायेगा। विशेष प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी, तदनुरूप जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार लक्ष्य का बिखंडन करेगें। चयनित किसान को 6 कि0ग्रा0 का एक पैकेट मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत बीज पर अधिकतम अनुदान कॉलम 6 में अंकित मूल्य दर का 80 प्रतिशत अनुमान्य है। मूल्य दर कम होने पर वास्तविक मूल्य का 80 प्रतिशत अनुमान्य होगा। किसानों को अनुदान राशि घटाकर शेष राशि प्राप्त कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज की उपलब्धता संबंधित जिलो में सुनिश्चित की जायेगी। किसानों को अनुदान राशि घटाकर बीज बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अपने डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. बीज वितरण कार्यक्रम– फसलों के निर्धारित बीज विस्थापन दर प्राप्ति हेतु रबी 2018–19 में बीज वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य योजना से गेहूँ प्रमाणित बीज का वितरण किया जायेगा। राज्य योजनान्तर्गत गेहूं प्रमाणित बीज वितरण का जिलावार लक्ष्य अनुसूची–6 में संलग्न किया गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 2–5/2018–NFSM दिनांक 29.05.18 के आलोक में बीज वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में गेहूं प्रमाणित बीज वितरण के अनुदान दर में परिवर्तन किया गया है। केन्द्रीय योजना के सदृश्य हीं राज्य योजनान्तर्गत बीज वितरण के अनुदान दर में वृद्धि/परिवर्तन किया गया है। 10 वर्ष के अंदर के अधिसूचित गेहूं प्रमाणित बीज प्रभेद पर अधिकतम अनुदान 20 रू0 प्रति कि0ग्रा0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो न्यूनतम हो अनुमान्य किया गया है। 10 वर्ष से अधिक के अधिसूचित गेहूं प्रमाणित बीज प्रभेद पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान 10 रू0 प्रति कि0ग्रा0 अनुमान्य किया गया है। गतवर्ष की तरह राज्य योजना से 5 रू0 टॉप–अप देकर अधिकतम अनुदान 15 रू0 प्रति कि0ग्रा0 या मूल्य का 50

प्रतिशत जो कम हो अनुमान्य किया गया है। विभागीय योजनों में प्रमाणित बीज के उपयोग चिन्हित फसल प्रभेद की सूची में अंकित गेहूं प्रभेदों पर ही अनुदान अनुमान्य होगा। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र के लिए बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अनुदान राशि घटाकर शेष राशि प्राप्त कर बीज की उपलब्धता अपने विक्रेताओं के माध्यम से जिलों में की जायेगी। योजनान्तर्गत किसानों को अनुमान्य अनुदान राशि घटाकर बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

7. **आधार बीज पर अनुदान योजना**– योजना कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

I. योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक किसानों को सर्वप्रथम अपना निबंधन कृषि विभाग के बेवसाइट http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर कराना होगा। निबंधन हेतु सभी सूचना की प्रवृष्टि करना अनिवार्य होगा।

II. फसलवार आधार बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

III. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा योजनान्तर्गत अनुमान्य अनुदान राशि घटाकर शेष राशि प्राप्त कर बीज की उपलब्धता किसानों को की जायेगी।

IV. किसानों से बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण कराने हेतु सहमति पत्र लेने के पश्चात हीं योजनान्तर्गत बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

V. किसान द्वारा आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन क्षेत्र का निबंधन बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी, पटना से कराना होगा।

VI. योजनान्तर्गत एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। 10 एकड़ क्षेत्र में एक से अधिक फसल लिया जा सकता है।

VII. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र सं0 4–1/2018–NFSM-OS & OP दिनांक 08.03.18 द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु घटकवार तेलहन बीज वितरण योजना वर्ष 2018–19 में तेलहनी फसलों (सोयाबीन, तिसी, राई/सरसों) के अनुदान दर 33 रू0 से बढ़ाकर 40 रू0 प्रति कि0ग्रा0 एवं तिल का अनुदान दर 80 रू0 प्रति कि0ग्रा0 किया गया है। केन्द्र के समान हीं राज्य योजनान्तर्गत आधार बीज पर अनुदान योजना में उक्त फसलों के अनुदान दर में वृद्धि की गयी है।

VIII. योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची– 7 एवं 8 के रूप में सलंग्न है।

8. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त सभी योजनाओं के निर्धारित जिले के लक्ष्य को प्रखंडवार विखंडित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा। लक्ष्य के अनुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी किसानों का चयन कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रखंडवार लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

9. **अनुदान राशि भुगतान**– विभाग के स्तर पर पत्र सं0 9/उपा0/बीज अनुदान–02/17– 2920 दिनांक 24.05.18 द्वारा वर्ष 2018–19 के उपरोक्त सभी योजनाओं में बीज अनुदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित DBT in Kind Transfer के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में बीज की उपलबधता सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य बीज निगम लि0 को प्राधिकृत किया गया है। बिहार राज्य बीज निगम लि0 को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसानों के उपयोग हेतु बीज की उपलब्धता अपने सम्बद्ध बिक्रेताओं के माध्यम से किसानों से प्राप्त की गयी राशि को घटाकर शेष देय कुल अनुदान मद की राशि